न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी संजु मीणा)

आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 74/2019

1. नानी पत्नि श्री थाना जाति रेबारी निवासी पडांगा तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. भोपाल पुत्र श्री थाना जाति रेबारी निवासी पडांगा तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. सोदान पुत्र श्री थाना जाति रेबारी निवासी पडांगा तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. गायड पुत्र श्री थाना जाति रेबारी निवासी पडांगा तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. राजाराम पुत्र श्री थाना जाति रेबारी निवासी पडांगा तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. सीता पुत्री श्री थाना जाति रेबारी निवासी पडांगा तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. इन्द्रा पुत्री श्री थाना जाति रेबारी निवासी पडांगा तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. सुगनी पत्नि श्री आसु जाति रेबारी निवासी पडांगा तहसील भिनाय जिला अजमेर
9. सुख पुत्री श्री आसु जाति रेबारी निवासी पडांगा तहसील भिनाय जिला अजमेर
10. चम्पा पुत्री श्री आसु जाति रेबारी निवासी पडांगा तहसील भिनाय जिला अजमेर
11. पेमा पुत्र श्री आसु जाति रेबारी निवासी पडांगा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीयागण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित पक्षकारः– श्री धर्मवीर बामनिया (अधिवक्ता प्रार्थी)
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 10.09.2020

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि मौजा एकलसिंहा पटवार क्षेत्र एकलसिंहा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एकलसिंहा तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजी खाता सं. नया 145 पुराना 138 में दर्ज आराजी खसरा नं. 1174 रकबा 0.40, 1975 रकबा 0.38, 1976 रकबा 0.21, 1977 रकबा 0.18, 697 रकबा 0.18, 936 रकबा 0.28 किता–6 रकबा 1.63 हैं0 भूमि प्रार्थीयागण की पुश्तैनी आराजीयात है। जो वर्तमान में प्रार्थीयागण के पिता श्री थाना पुत्र पाबू जाति राईका की विरासत से उनको प्राप्त हुई है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2041–44 में उक्त भूमि प्रार्थीयागण के पिता थाना पुत्र पाबू के नाम दर्ज थी जो वर्तमान में सहवनवश थाना पुत्र पाबू के स्थान पर थाना पुत्र पांचू अंकित हो गया हैं, जो गलत हैं। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थीयागण के पिता की वल्दियत सही दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली दर्ज कर तहसीलदार भिनाय को तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र मय मौका पर्चा प्रस्तुत कर प्रार्थीयागण द्वारा वांछित दुरूस्ती उचित होना स्वीकार किया। प्रकरण के सन्दर्भ में प्रार्थीया अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात यथा जवाब पैरोकार सरकार, भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवार हल्का पडांगा द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा, ग्राम पंचायत पडांगा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र, प्रार्थीयागण के पिता श्री थाना का मृत्यु प्रमाण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.10.14 11:27:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्र, राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2041–44 एवं गिलान क्षेत्रफल, आदि का गहनता से अध्ययन करने पर प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिए जाते है कि मौजा पडांगा की जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खाता सं. खाता सं. नया 145 पुराना 138 में दर्ज आराजी खसरा नं. 1174 रकबा 0.40, 1975 रकबा 0.38, 1976 रकबा 0.21, 1977 रकबा 0.18, 697 रकबा 0.18, 936 रकबा 0.28 किता–6 रकबा 1.63 हैं0 भूमि में दर्ज खातेदार थाना पुत्र पांचू जाति राईका के स्थान पर थाना पुत्र पावू जाति राईका दुरूस्त किए जाने आदेश पारित किए जाते है एवं तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 10.09.2020 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

(संजु मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.10.14 11:27:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner